भाग 4

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108 भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2009—फाल्गुन 22, शक 1930

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2009

क्र. एफ. ए 5-16-2007-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधिपति, श्री ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

क्रमांक	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दिनांक 5 से 9 जनवरी 2009	5 दिन	पूर्ण वेतन भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 जनवरी 2009 तथा अवकाश पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 जनवरी 2009 के सार्वजनिक लाभ की अनुमति सहित.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्र. 826-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	सांवेर	हतुनिया	36.459	उप महाप्रबंधक (निमाण) पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., इन्दौर	765/400/220 के.व्ही. सब-स्टेशन के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील, सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 2 मार्च 2009

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. -09 पत्र क्र. ....-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में लगभग)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बरवारकला	5.730	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, रीवा	सरवार बांध निर्माण

भूमि के नक्शे (प्लान) का कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

का साया

केंद्र ने सभी जिला स्रोत ...ज कोर्स में बच्चों का परीक्षण ...ा है। ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षकों ... आधार पर 1350 रुपए दिए ...न के पहले शिक्षा केंद्र ने सभी ...ांच कराना तय किया है। -न्यूज

आर्थिक मदद है कारण

हाल ही में शिक्षा केंद्र को कई जिलों से शिकायत मिली थी कि बच्चे नहीं होने के बावजूद उनके नाम से ब्रिज कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। फर्जी नामों से ब्रिज कोर्स के तहत आर्थिक मदद ली जा रही है। इसलिए पहले परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षण में बड़ी संख्या में फर्जी नाम सामने आने की आशंका है।

कार्यालय कलेक्टर इंदौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक

अधिसूचना

क्रमांक/भू-अर्जन/2009/ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हे. में	धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
इंदौर	सांवेर	हतुनिया	36.459	उपमहाप्रबंधक (निर्माण) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. इंदौर	765/400/220 के.व्ही. सब स्टेशन के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष इंदौर एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(राकेश श्रीवास्तव)

कलेक्टर जिला इंदौर

पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

जी 26008/09